<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा</u>

नरगिस बनाम सलीम खां उर्फ बबली

परिवाद सं0—64/16
धारा—406 भा0दं0सं0
थाना—ठाकुरद्वारा,

<u>21.12.2018</u>

अभियुक्ता सादिया बेगम की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र परिवाद सं0—64/16 धारा—406 भा0दं0सं0 थाना—ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मामला पारिवारिक प्रकृति का है। अभियुक्ता सादिया बेगम को दिनांक 10.10.18 को न्यायालय द्वारा अन्तरिम जमानत पर अवमुक्त किया गया था तदोपरान्त पत्रावली मीडिएशन भेजी गयी, यद्यपि मीडिएशन असफल रहा है परन्तु उक्त समय में अभियुक्ता द्वारा अन्तरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। पत्रावली पर कोई भी डॉक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट मौजूद नहीं है। चूंकि मामला पारिवारिक प्रकृति का है, भविष्य में भी सुलह समझौते की संभावना बरकरार है और पत्रावली पर भी कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यदि उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह जमानत का उल्लंघन करेगी मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्ता दिनांक 10.10.18 से अन्तरिम जमानत पर है उसके द्वारा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है, अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता सादिया बेगम का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर हैं। जमानते दाखिल हैं। अतः पुराने जमानत नामे स्वीकार किये जाते हैं। समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा